

2017

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 251 /139/2017/2/पांच,
प्रति,

भोपाल दिनांक 02 फरवरी, 2017

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- आपसी सहमति से भूमि कय नीति अंतर्गत निष्पादित विक्रय पत्रों पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क पर छूट दिए जाने के संबंध में।


संदर्भ:- महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय का पत्र क्रमांक 825/तकनीकी/2016 दिनांक 17.02.2016, पत्र क्रमांक 4102/तकनीकी/2016 दिनांक 29.09.2016, पत्र क्रमांक 4648/तकनीकी/2016 दिनांक 21.10.2016 एवं पत्र क्रमांक-4871/तकनीकी/2016 दिनांक 07.01.2016

.....00.....

उक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC), पंजीयन विभाग के अधिकारियों को "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" अंतर्गत निष्पादित विलेखों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें अतिष्ठित करते हुए प्रकरण में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

आपसी सहमति से भूमि कय नीति संबंधी अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 की कण्डिका 14 अनुसार भूमि की रजिस्ट्री करने के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क व अन्य व्यय संबंधित विभाग/उपक्रम द्वारा वहन किया जाना अपेक्षित है।


उक्त परिप्रेक्ष्य में आपसी सहमति से भूमि कय नीति के प्रकरणों में नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस चुकाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।


(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ.क्रमांक 252 /139/2017/2/पांच,
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 02 फरवरी, 2017

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग।
 2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
 3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC), भोपाल।
 4. महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल।
 5. समस्त परिक्षेत्रीय, उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश।
 6. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग